उत्तर प्रदेश सरकार

परिवहन अनुभाग-2

संख्या-2/2017/1090/30-2-2016-03(55)/13

लखनऊः दिनांक- 03 जनवरी,2017

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार ने मोटरयान अधिनियम,1988 (अधिनियम संख्या-59 सन् 1988) की धारा-102 की उपधारा (1) के अनुसरण में सरकारी अधिसूचना संख्या-3/2016/770/तीस-2-2015-3(55)/13 दिनांक-06 जुलाई,2016 में नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित योजनाओं में उपान्तरण किये जाने से सम्बन्धित एक प्रस्ताव प्रकाशित किया है;

और चूंकि इस सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदनों के सम्बंध में सम्यक् रूप से विचार करके सुनवाई कर ली गई है;

और चूंकि अभ्यावेदन दाखिल किये जाने की अनुज्ञात अवधि समाप्त हो गयी है;

और चूंकि, राज्य सरकार लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है;

अतएव अब, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 128 एवं नियम 129 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या-59 सन्, 1988) की धारा 102 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अधिसूचनाओं द्वारा प्रकाशित अनुमोदित योजनाओं में एवं उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित मार्गों के संबंध में नीचे अनुसूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित सीमा तक उपान्तरणों हेतु अनुमोदन प्रदान करते है:-

अनुसूची

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या और दिनांक जिसके द्वारा मार्ग अधिसूचित किया गया	अधिसूचित मार्ग का नाम जिसमें ,उपान्तरण प्रस्तावित है	प्रस्तावित उपान्तरण
1	2	3	4
1	763टी/30-708टी 1950, दिनांक 12-02-1951	महोबा-कुलपहाड-पनवाड़ी-राठ	महोबा-कुलपहाड़-पनवाड़ी-राठ अधिसूचित मार्ग के पनवाड़ी से राठ मार्गान्श पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ-साथ आवश्यकतानुसार निजी संचालकों द्वारा मंजिली गाडियों का संचालन अनुमन्य होगा ।
2	3191ए/30-4(3)बी 860 दिनांक 05-12-1960	राठ-पनवाड़ी-हरपालपुर	राठ-पनवाड़ी-हरपालपुर अधिसूचित मार्ग पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के साथ-साथ आवश्यकतानुसार निजी संचालकों द्वारा मंजिली गाडियों का संचालन अनुमन्य होगा ।

आज्ञा से,

आराधना शुक्ला
प्रमुख सचिव।

online/gp

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-2/2017/1090(1)/30-2-2016-03(55)/13, तददिनांक।

प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया प्रश्नगत अधिसूचना को स्थानीय भाषा के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने और प्रकाशित समाचार पत्रों की पांच-पांच प्रति परिवहन अनुभाग-2 कक्ष संख्या-321 तृतीय तल बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

रामाश्रय प्रसाद
अनु सचिव।

संख्या-2/2017/1090(2)/30-2-2016-03(55)/13, तददिनांक।

प्रतिलिपि, अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तरण की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामाग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे प्रश्नगत अधिसूचना को सरकारी गजट (असाधारण) की विधायी परिविष्ट भाग-4 खण्ड-ख में प्रकाशित कराने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियॉ शासन के परिवहन अनुभाग-2 पत्र संख्या-321 तृतीय तल बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

रामाश्रय प्रसाद
अनु सचिव।

संख्या-2/2017/1090(3)/30-2-2016-03(55)/13, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
3- मंडलायुक्त, झांसी एवं चित्रकूट धाम, बांदा।
4- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ।
5- विधायी अनुभाग-1
6- सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, झांसी एवं चित्रकूट धाम, बांदा सम्भाग ।
7- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, एक-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

रामाश्रय प्रसाद
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

online/gp

UTTAR PRADESH SARKAR
PARIVAHAN ANUBHAG-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No- 2/2017/1090/XXX-2-2016-03(55)-13 Dated- January 03 ,2016

NOTIFICATION

No- 2/2017/1090 /XXX-2-2016-03(55)/13
Lucknow Dated: January 03,2017

Whereas the State Government has, in pursuance of sub-section(1) of section-102 of Motor Vehicles Act,1988 (Act no.-59 of 1988), published a proposal regarding modification in the schemes mentioned in column-2 of the schedule below in Government notification no. 3/ 2016/770/XXX-2-2015-03(55)/13 dated- July 06,2016;

And whereas the representations received with respect thereto have been duly considered and heared;

And whereas the period allowed for filing the representations has expired;

And whereas the State Government considers it necessary to do so in the public interest;

Now, therefore, in exercise of powers conferred under sub-section (1) of section 102 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) read with rule-128 and rule-129 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules,1998, the Governor is pleased to approve the modifications to the extent mentioned in column-4 of the Schedule below in the approved schemes published vide notifications mentioned in column-2 and in respect of routes mentioned against each in column-3 of the said Schedule:-

Schedule

Sl.No	Notification number and date by	Name of the notified route in which the modification is	Proposed modification

http://shasanadesh.up.nic.in

	which the route was notified	proposed	
1	2	3	4
1	763T/30-708T/1950, dated 12-2-1951	Mahoba-Kulpahar-Panwari-Rath	The operation of Stage carriages by private operators alongwith Uttar Pradesh State Road Transport Corporation shall be allowed as per need on Panwari to Rath portion of the notified route Mahoba-Kulpahar-Panwari-Rath route.
2	3191A/30-4(3)B860, Dated 5-12-1960	Rath-Panwari-Harpalpur	The operation of Stage carriages by private operators alongwith Uttar Pradesh State Road Transport Corporation shall be allowed as per need on Rath-Panwari-Harpalpur notified route.

By order,

Aradhana Shukla
Pramukh Sachiv,

http://shasanadesh.up.nic.in

online/gp